ज़ायद बह नं०

जिलद—बाबत महकमा सब-रजिस्ट्रार

कीमत अशटाम्प	नम्बर, शुमार अन्दराज मुआमले केमालीयत और नोईयत और कीमत रजिस्ट्री व दीगर रसूम और तावान वसूल शुदा
नोटः—यह ख़ाना इस किसम के नोटों के लिये भी इस्तेमाल हो सकते हैं जो मामूली किताब नं० 4 के खाना कैफ़ियत में लिखे जाते हैं	R No. 122 अस्तीमा अस्टाम मालीयती 4 किसात जब 540 R.F. 250.00 C.F. 3.00 Total:— 53.00

New Art Press JUC. 2074 Reg.

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)

...hal Government Judicial Paper

नकल

बसीयतनामा

मुज़ !

मैं श्रीमति यैलीशबर लखमीबब
...ह मकान बन्दहाल पुक
...रकाम समबर बनाही साहबी
...मा ब तहसील सदर ज़िला
...लपुर हि. प्र. की हूं।
कि मुज़हरा बूढ़ी औरत है।
बुढ़ापा में सेवा की ज़रूरत है।
...र ग्राम बनाही साहबी
...मा ब तहसील सदर ज़िला
...लपुर में मालूकी की मालकि
...न मुज़ है और जायदाद मनकूला
...की मालकि ब काबिज़ है।
...रा के तीन पुक हरा बनाह,
...बनाह, लमबाह व तीन पुत्रियां
...ता, मातर, नीला हैं। मुज़हरा
...ने तीनों पुत्रों व दो पुत्रियों
...मातामी वारिसान मर की
...। मुज़हरा की पुत्रियां नीला,
...मबने अपने ससुराल आबाद
मुज़हरा व वहि मुज़हरा ने
...ने साफी लमबाह पढ़े
...ने और वह नेटी व नेटे
...की सेवा नहीं करती है।
...बाह, लमबाह पुत्रान
...की नेटी व नेटे वहि
...सेवा नहीं करते व नेटे
...ही रोटी कपड़ा देते हैं
...लमबाह पुक मुज़हरा ही

2 694428 A: **Himachal Government Judicial Paper**

नकल

बदीनतवाला

मुज़ (1)

मनकि श्रीमति चैतरीदेवी तबजीब 62 साल बाल नन्दलाल पुत्र ठाकरदास समकन नजाही साहरली परगना व तहसील सदर जिला बिलासपुर हि. प्र. की हूं।

जोकि मुज़हरा बूढ़ी औरत है। इस बुढ़ापा में सेवा की जरूरत है। मुज़हरा ग्राम नजाही साहरली परगना व तहसील सदर जिला बिलासपुर में अराज़ी की मालिक व काबिज़ है और आदिल मनकूला की भी मालिक व काबिज़ है। मुज़हरा के तीन पुत्र हरनामदास, रोशनलाल, सुखलाल व तीन पुत्रियां कौशल्या, सावित्री, गीता हैं। मुज़हरा ने अपने तीनों पुत्रों व दो पुत्रियों कौशल्या, सावित्री को आदिला कर दी हुई हैं। मुज़हरा की पुत्रियां कौशल्या, सावित्री अपने अपने ससुराल आबाद हैं व मुज़हरा के पास मुज़हरा ने एक को साफी सुपुर्द कर दिया है और वह बेटी के बेटे की सेवा नहीं करती है। हरनामदास, सुखलाल पुत्रान मुज़हरा की बेटे के बेटे की सेवा नहीं करते थे और वाहिदी मकड़ा देते थे। मतलबि रोशनलाल पुत्र मुज़हरा ही

मुज़हरा की सेवा करता है।

25-6-90

3-4

दस्तावेज वापसीयती ---------- रुपये
किराया ---- 4 ---- नकद है।
कुल ---- 540 ---- है।

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)
25/6/90

दस्तावेज 3 पन्ना
तारीख 25 माह जून सन 1990 को समय हुआ 3 बजे पेशकर्ता 1-4 व्यक्ति
तरफा भाई लालचन्द राम तहसील रामपुर
जिला बिलासपुर (हि.प्र.) ने आज दिनांक 25 जून 1990
सम्वत् 4 आषाढ़ 1947 वारीख शनिवार
समय 3-30 बजे दफ्तर में हाजिर होकर सब रजिस्ट्री
दस्तावेज दर्ज करने रजिस्ट्री के पेश किया।

पेश कर्ता

R.T.I
चतरी

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)
25/6/90

मैं प्रमाणित करता हूँ कि पेश कर्ता ने अंगूठा निशान
मेरे सामने लगाया है।

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)
25/6/90

जिलद—

No 694429 A₈ **Himachal Government Judicial Paper**

मैं व मेरे पति की सेवा करता
था और रोटी कपड़ा देता था
जिस पर मुज़हरा ने अपनी
मुअज़्ज़ा जायदाद मकान व गैर मकान
हर किस्म की वसीयत बरूए
वसीयतनामा रजिस्टरीशुदा संख्यात
नं. 243 बुक नं. 3 बतारीख नं. 83
मुआ 23 ता 25 तिथि 16/11/87 अफसर
सब रजिस्ट्रार साहिब सदर बिलासपुर
उस के हक़ में की हुई है।
अब मुद्दालेह, मुद्दआ पुत्रान
मुज़हरा की मुज़हरा के पति मुज़हरा
की सेवा हस्बे किस्म करते हैं व रोटी
कपड़ा देते हैं। उन्हें पैसे की ज़रूरत है। अब मुज़हरा
को हीले पुत्र मेरी व मेरे पति की
सेवा करते व रोटी कपड़ा देते हैं।
और जायदाद पैसे सेवा करना व
रोटी कपड़ा देना चाहते हैं और
मुज़हरा की मंशा मुझे गैर
वाजिब बेदखल करना चाहते हैं,
तो मुज़हरा ने तैरीख मौजिब
अपने इख्तियार का वसीयतनामा
रजिस्टरी शुदा 16/11/87 बहक
रोजा वसूल पुत्रान को मन्सूख
करती है और बराए जायदाद
अपनी मुअज़्ज़ा जायदाद मकान व
गैर मकान हर किस्म की
वसीयत बहक मुद्दआ
रोजा वसूल, मुद्दआ

मुज़हरा के निशान अंगूठा

New Art Press JUC. 20

25.6.90

वसीका वसीयत नामा हुवा श्री [illegible]

हुक्म व हरुफ [illegible] सुनाया व समझाया गया। जिसमें
इस वसीका [illegible] तमाम [illegible] व तकसील को सुन व
समझकर मुझे तसल्ली [illegible] हुआ। [illegible]
श्री लखन राम पुत्र [illegible] [illegible] जो [illegible] पुरा
परिचित है। लिहाजा वसीका हुवा वसीक किया
जाता है दर्ज रजिस्टर होवे।

पेश कर्ता

अनाफत कर्ता

R-T.1
4
चार

लेखराम [illegible]

[illegible]
[illegible] पंचायत समिति
[illegible]

Sub Registrar Sarkar
Distt. Bilaspur (H.P.)
25/6/90

[illegible] प्रमाणित [illegible] कि पेश कर्ता ने अंगूठा निशान
[illegible] सामने लगाया है।

Sub Registrar Sadar
Distt. Bilaspur (H.P.)
25/6/90

694430 A₈ **Himachal Government Judicial Paper**

मुज़ 3

पुत्रान ठाकुरदास पुत्र किल्लू मकान
बमाहली तहसील पालमपुर व तहसील
सदर ज़िला बिलासपुर हि० प्र० पुत्रान
लबूद मर के। कायम करती हूं और
लिख देती हूं कि जब तक मुज़हरा
हयात है मुज़हरा अपनी मुमता
जायदाद मनकूला व गैर मनकूला
हर किस्म की मालिक व काबज़
रहेगी। बाद वफात मुज़हरा मेरी
मुमता जायदाद मनकूला व गैरमनकूला
हर किस्म वारसान मुज़हरा बमाहली तहसील
पालमपुर व तहसील सदर ज़िला
बिलासपुर व जहां कहीं हो के
हकदार होंगे यानी हम तीन
पुत्रान मुज़हरा हर तीन बराबर
मुमता बीवा वारसान मुज़हरा व
काबज़ व तसर्रुफ होंगे मिल्कियत
वारसान मुज़हरा के मिल्कियत
वारसान मुज़हरा के मेरी मालूकान
वारसान वा होगा। मुमता जायदाद
हर किस्म मुज़हरा में जो मेरे
हक मुज़हरा को हासिल है
वह तमाम बाद वफात मुज़हरा
मालिकान मुज़हरान को हासिल
होंगे। मुज़हरा का मालिक
बतौर तबर्रा दस्तखती मुमा 16/11/87
वल्द ठाकुरदास पुत्र मुज़हरा
मकबूल व तसदीक होगा मेरे

मुज़हरा के दस्तखत

SUB HOSPITAL
Distt. Dibrugarh (Assam)
25/6/10

694431 A. **Himachal Government Judicial Paper**

मुज़रा

बाद वफात मुज़रराज़ के परमोशी
अमल में आ होगा बल्कि
वसीयतनामा हज़ा पर पूरापूरा
अमल होगा। लहरे मौजी गरबीली
वसीयत है।
हिबा हज़ा ऐनंद व तमाम वसीयत
वसीयतनामा बरकरार होगा व
हबक बुद्ध बिना तरगीब गैरे
तबक मुकदमा मसिला तैरीर
कर देती है कि सनद रहे।
तिथि 6/90 बिलासपुर
गवाह मुद्दा — गवाह मुद्दा
श्रीमती चंदो श्रीमती चंदो श्रीमती
पुत्र महाराम बसी सा० मुरला पुत्र नैणू
पुत्र बगाराम पुत्र बैणू
सकनाबोगा सकनाबोगा
परगना मदर परगना मदर

तालमन

वसीयतनामा हज़ा में 150 शब्द हैं।

50
25.6.90 मोहर मुहर्रर
बिलासपुर

नकल मुताबिक असल है।
तिथि 25/6/90 नकल कर्ता
मुहर्रर
बिलासपुर

50
25.6.90

Registration No. 122 in Book 3
Volume 91 on pages/pages 51 This
Date 25/6/70

Sub Registrar
Distt. Bilaspur (H.P.)
25/6/70